

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ 1(21)परि/स्था/मु./2010/46145

जयपुर, दिनांक 7-4-2014

कार्यालय आदेश संख्या 10.....

कार्यालय आदेश संख्या 9/2014 क्रमांक 1(21)परि/स्था/मु./2010/45855 दिनांक 03.04.2014
निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :-

1. बिन्दु संख्या 1 में अपर परिवहन आयुक्त अपने कार्यालय के कार्यालयध्यक्ष होंगे। कार्यालय स्टॉफ की व्यवस्था पृथक से की जाएगी तथा कार्यालयाध्यक्ष हेतु पदनामित करने के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं।
2. बिन्दु संख्या 2 व 3 में अपर परिवहन आयुक्त उनके जोन के अधीन समस्त परिवहन कार्यालयों के पर्यवेक्षणीय अधिकारी होंगे। उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले अन्य कार्यों के लिए पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयों की प्रशासनिक एवं संस्थापन संबंधित कार्य व्यवस्था पूर्ववत् ही रहेगी।



(मुकेश शर्मा)


परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

जयपुर, दिनांक 7-4-2014

क्रमांक: एफ 1(29)परि/स्था/99/पार्ट/46146-46159

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री(मुख्यमंत्री), राज. जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राज. जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रेंज जयपुर/जोधपुर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा बीकानेर।
6. संबंधित जिला कलेक्टर।
7. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
8. उप शासन सचिव (वित्त व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान।
10. समस्त अधिकारीगण, परिवहन विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
11. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
12. संबंधित कोषाधिकारी।
13. समस्त शाखायें, परिवहन विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।



परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

